

पत्रांक:—BMSIC/80105/23-2021/5673

दिनांक:— 27/09/2024

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (मु0)

BMSICL, पटना।

सेवा में,

M/s Rajendra Prasad Poddar,
Mangal Market (Tirupati Market)
Katihar, Pin-854105

विषय:— वैशाली विधान सभा क्षेत्र 123 एवं 124 के अंतर्गत चल रहे विभिन्न हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कार्य में विलंब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:— उपमहाप्रबंधक (परि0) का पत्रांक 303 दिनांक 02.11.2023, पत्रांक 16 दिनांक 03.01.2024, पत्रांक 28 दिनांक 18.01.2024, ज्ञापांक 130 दिनांक 06.04.2024, ज्ञापांक 236 दिनांक 24.07.2024 एवं इस निगम का पत्रांक 4475 दिनांक 23.08.2024

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वैशाली विधान सभा क्षेत्र 123 एवं 124 (i) हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (ii) लालगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (iii) वैशाली जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पटेढ़ी बेलसर का भवन निर्माण हेतु आपको इस निगम के पत्रांक BMSIC/80105/23-2021/8200 दिनांक—28.01.2022 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 15 माह अर्थात् दिनांक 27.04.2023 तक पूर्ण करना था, परंतु 30 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अभी तक मात्र 02 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घटारो एवं हरौली तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर, लालपुरा का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है एवं अन्य सभी स्थलों पर कार्य अत्यंत धीमी गति से कराया जा रहा है जो घोर लापरवाही एवं अनियमितता का द्योतक है। इसके कारण सरकार के जन-उपयोगी एवं जन-हित संबंधी इस अति-महत्वकांक्षी परियोजना का निर्माण ससमय पूर्ण नहीं कराया जा सका है। इस निगम के प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गई है, आपके फर्म के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक शून्य, दिनांक 23.09.2024 को निगम को प्राप्त है, जो कि मनगढ़ंत एवं सत्य से इतर है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (vi) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

मुख्य महाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांक:— BMSIC/80105/23-2021/5673

प्रतिलिपि:—उपमहाप्रबंधक (परि0), मुजफ्फरपुर/वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांक:— BMSICL/80105/23-2021/5673

प्रतिलिपि:— सभी महाप्रबंधक BMSICL एवं सभी उपमहाप्रबंधक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

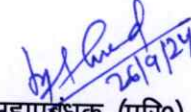
ज्ञापांक:- BMSIC/80105/23-2021/5673

दिनांक:- 27/09/2024

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण विभाग निगम लि0, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।


मुख्य महाप्रबंधक (परि0)

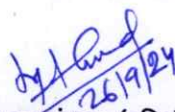
प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक महोदय, BMSICL पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


मुख्य महाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80105/23-2021/5673

दिनांक:- 27/09/2024

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL के वेबसाईट पर Upload किया जाए।


मुख्य महाप्रबंधक (परि0)